कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालन एवं प्रबंधन समिति मालखरौदा, जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

क्र0/3947/संविदा भर्ती/2022–23 जांजगीर दिनांक 03/08/2022

–:: आदेश ::–

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर के आदेश क्र./स्वा.आ.अं.मा/2021–22/259 रायपुर दिनांक 13/07/2021 के अनुसार जिले के अंतर्गत स्वीकृत स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में सृजित पदों पर निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख कंडिका 4 में उल्लेखित पद पर शासन द्वारा घोषित एकमुश्त मानदेय पर (अन्य कोई भत्ते देय नही होंगे) अधिरोपित शर्तों के अधीन संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पद का नाम	चयनित संवर्ग	पता	एकमुश्त देय वेतन
1	2	3	4	5	6	7
1	ANITA SIDAR	ARAKSHIT PRASAD SIDAR	व्याख्याता वाणिज्य	अ.ज.जा. मुक्त	VILL. SURAJGARH AT POST-NADIGAON	38100
2	NIRMALA PATEL	S L PATEL	शिक्षक विज्ञान	अना. मुक्त	PLOT 242 R/A,PHASE 2,RAJKISHORE NAGAR BILASPUR	35400
3	AJAY AGRAWAL	VINOD KUMAR AGRAWAL	सहायक शिक्षक विज्ञान समूह	अना. मुक्त	C/O VINOD KUMAR AGRAWAL ADVOCATE (NOTARY), HOUSE NO. 02, VIP CITY WARD NO. 06 AGRESHAN MARG NAILA, JANJGIR	25300
	SUPARNA FULE	MR. VINOD FULE	सहायक शिक्षक विज्ञान समूह	अ.जा. मुक्त	H.NO. 813, STREET NO 16, CHANDRA NAGAR KOHKA	

1. उपरोक्त पदांकित अधिकारी/कर्मचारी को पदस्थापना स्थान स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मालखरौदा, जिला जांजगीर–चाम्पा (छ.ग.) मे दिनांक 18/08/2022 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, उक्त अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जायेगा।
2. नियुक्त सभी अभ्यर्थी छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम–2012 के प्रावधानों के अधीन होंगे एवं छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होंगे।
3. नियुक्त अभ्यर्थी पूर्ण रूप से स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालन प्रबंधन समिति मालखरौदा के पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेंगे।
4. संबंधित अभ्यर्थी की नियुक्ति मेडिकल बोर्ड से चिकित्सकीय प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रत्याशा में की जा रही है। जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाये जाने पर उनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी।
5. पुलिस अधीक्षक से प्राप्त अनुप्रमाणन (चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र) में यदि आपराधिक गतिविधियां पाई जाती हैं तो सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।
6. नियुक्त अभ्यर्थी का कार्य–व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर संबंधित की सेवा 1 माह का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में 01 माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।
7. उपरोक्त नियुक्ति मे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीद्वार की नियुक्ति में आरक्षण दिये जाने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रसारित निर्देशों का पालन किया गया है।

8. यदि किसी भी स्तर पर उम्मीद्वार द्वारा उसके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य होने संबंधी दी गई जानकारी गलत पायी जाती है तो वह बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किए जाने के लिये स्वयं उत्तरदायी होगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जावेगी।

9. यदि उपर्युक्त नियुक्त अभ्यर्थियों द्वारा अपने ऑनलाईन आवेदन, अभिलेख सत्यापन में प्रस्तुत जानकारी/प्रमाण पत्र गलत/भ्रामक/कूटरचित पाये जाते है तो उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के युक्तियुक्त प्रावधानों के अधीन कठोर कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं पूर्णरूपेण उत्तरदायी होगा।

10. समस्त चयनित अभ्यर्थियों के कार्यो का समय-समय पर निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण तथा अनिवार्य रूप से वार्षिक मूल्यांकन, नियोक्ता द्वारा गठित समिति के द्वारा किया जावेगा एवं उक्त समिति की अनुशंसा उपरांत ही, विद्यालयीन आवश्यकता अनुसार आगामी सत्रों के लिये नियुक्ति निरंतर जारी रखी जा सकेगी।

11. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई प्रकृति की है, चयनित अभ्यर्थी इस आदेश में उल्लेखित एकमुश्त वेतन के अतिरिक्त स्थाईकरण, नियमितिकरण, संविलियन, पेंशन या अन्य कोई सेवालाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा, न ही इस संबंध मे कोई दावा विचारणीय होगा। यह संविदा नियुक्ति उभयपक्षों में से किसी भी पक्ष द्वारा 01 माह का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में 1 माह का वेतन देकर किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

Taran

कलेक्टर एवं अध्यक्ष
स्वामी आ.उ.अं.माध्य. विद्यालय
संचालन एवं प्रबंधन समिति मालखरौदा
जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

पृ०क्र० / 3948 / संविदा भर्ती / 2022-23 जांजगीर दिनांक 03 / 08 / 2022

प्रतिलिपि :-

1. सचिव छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जांजगीर-चॉपा (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. जिला शिक्षा अधिकारी जांजगी/सक्ती जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. उप संचालक, जन संपर्क विभाग, जांजगीर-चांपा (छ.ग.) को दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
7. डी.आई.ओ. एन.आई.सी. जांजगीर को सूचनार्थ एवं जिले के पोर्टल https://janjgir-champa.gov.in पर अपलोड किये जाने हेतु।
8. जिला कोषालय अधिकारी जांजगीर चाम्पा को सूचनार्थ।
9. प्राचार्य, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मालखरौदा को सूचनार्थ एवं निर्देशित किया जाता है कि संबंधित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की छायाप्रति प्राप्त कर समय सीमा में कार्यभार ग्रहण कराते हुए पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
10. संबंधित श्री/श्रीमती/कु./सुश्री .... को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

Taran

कलेक्टर एवं अध्यक्ष
स्वामी आ.उ.अं.माध्य. विद्यालय
संचालन एवं प्रबंधन समिति मालखरौदा
जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)